# एन आर आई सेवाएँ

## अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई) /भारतीय मूल व्यक्तियों (पीआईओ) हेतु सुविधाएं

1. विप्रेषण

विदेश में विनिमय द्वारा कितनी भी रकम सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किसी भी भारतीय व्यक्ति फर्म कंपनी को प्रेषित की जा सकती है अथवा निम्नलिखित प्रकार के खाते खोलने हेतु प्रेषित की जा सकती है ।अनिवासी खातों को (100 प्रतिशत मूल्य पर) प्रचलित बाजार दरों पर भारतीय रूपए में परिवर्तित किया जाएगा।

2.जमाराशियां

क. अनिवासी (बाहरी) रूपया खाता (एन आर आई )

य़ह खाता विभिन्न प्रकार से जैसे चालू, बचत, आवर्ती जमा अथवा मियादी जमा खातोंके रीप में रखा जा सकता है और जमा राशि व अर्जित ब्याज की रकम पूणर्ता प्रत्यावर्तनीय है ।

एन आर आई खातों में पड़ी शेष रकम पर ब्याज की राशि आय-कर से मुक्त है । इसी प्रकार ऐसे खातों में पड़ी बकाया राशि को संपदा-कर से भी छूट है ।

ख. विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ सी एन आर) खाते (बैंक) योजना

यह खाता विशेष रूप से पाँच प्रकार की करेंसी जैसे पाऊंड, यू एस डालर ,यूरो, आस्ट्रेलियन डालर अथवा कनेडियन डालर और यह खाता उसी करेंसी अधवा कोई अन्य अनुमत करेंसीमें एक वर्ष या उससे अधिक 5 वर्षों की अवधि तक हमारे बैंक में रखा जा सकता है । जमाराशि व उस पर अर्जित ब्याज पूरी तरह से प्रत्यावर्तनीय है । ऐसा खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती , उस खाते से जुड़ा विनियम जोखिम हमारे बैंक द्वारा वहल किया जाता है ।

एफ सी एन आर (बी ) खातों में बकाया जमाराशि पर अर्जित ब्याज आय-कर से मुक्त है । इसी प्रकार ऐसे खातों की बकाया राशि पर संपदा कर भी नहीं लगता है।

ग. अनिवासी सामान्य ( एन आर ओ ) खाता

भारत से बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अनिवासी सामान्य खाता खोल सकता है । यह खाता निवासी और अथवा अनिवासी के साथ संयुक्त रूप में रखा जा सकता है । एन आर ओ खाते बचत ,चालू ,आवर्ती अथवा सावधि जमाखातों के रूप में वास्तविक लेन-देन हेतु रूपयों में खोले जा सकते हैं । भारत में देय जायज़ राशि खातेदार के खाते में बिना किसी रूकावट के जमा की जा सकती है।भारत में अर्जित वर्तमान शुद्ध आय ( कर का भिगतान करने के बाद ) विदेश में प्रेषित करने की अनुमति है। जमाराशियों पर अर्जित ब्याज पर टी डी एस प्रचलित दरों पर लगेगा और एन आर ओ खाते पर अर्जित ब्याज मुक्त रूप से प्रत्यावर्तनीय है । एन आर आई अथवा पी आई ओ प्राधिकृत डीलर के माध्यम से एन आर ओ खाते में पड़ी बकाया राशि में से ज्यादा से ज्यादा एक

मिलीयन यू एस डालर पआति वितीय वर्ष प्रेषित कर सकते हैं और यह रकम परिसंपतियों की बिक्री से प्राप्त होनी चाहिए ।

क. भारत में रूपए से अथवा विदेशी करेंसी फंड्स से प्राप्त की गई हो अथवा

ख. कतिपय शर्तों के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने उत्तराधिकार अथवा वसीयत में पाई हो अथवा भारत के निवासी से निपटारे में प्राप्त हुई हो ।

3. प्रत्यावर्तन आधारित निवेश

क. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां या खज़ाना बिल

ख. देशी म्यूच्युअल फंड की इकाइयां

ग. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बांड

घ. भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश किए गए शेयर लेकिन यह खरीद बोली आमंत्रित करने संबंधी दी गई सूचना मे दी गई निर्धारित शर्तों के अनुरूप हो।

ड़ एफ डी आई योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियोंके शेयर व परिवर्तनीय डिबेंचर ( आटोमेटिक रूट तथा एफ आई पी बी में शामिल हों )

च. पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत बाजार में से खरीदे गए शेयर व परिवर्तनीय डिबेंचर

छ. भारत में बैंक द्वारा जारी किए गए स्थायी ऋण लिखत व पूँजीगत लिखत

ज. भारत में निगमित कंपनी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर

4. अप्रत्यावर्तन आधारित निवेश

क. भारत में मनी मार्किट म्यूच्युअल फंड की इकाइयां

ख. भारत में किसी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूँजी जो किसी प्रकार के कृषि अथवा बागान से जुड़ी गतिविधियों या फिर रियल इस्टेट बिजनस व कर रही हो।

ग. कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनी के पास रूपयों में पड़ी जमाराशियां इसमें भारतीय रिर्जव बैंक के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी या सांसद अधिनियम अथवा राज्य विधान मंडल के अंतर्गत सृजित की गई निगमित निकाय , स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा फर्म शामिल हैं। यह जमाराशि आवक प्रेषण अथवा एन आर आई या एफ सी एन आर (बी) खातों में से एन आर ओ खाते में आवक प्रेषण व ट्रांस्फर का द्योतक न हों।

घ. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां ( धारक प्रतिभूतियों के अतिरिक्त ) अथवा खजाना बिल

ड़ देशी म्यूच्युअल फंड की इकाइयां

च. भारत में निगमित कंपनी के अपरिवर्तनीय डिबेंचर h

छ. भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र

ज. पोर्टफोलियो निवेश योजना के अधीन कमपनियों के अतिरिक्त भारतीय कंपिनयों के शेयर व परिवर्तनीय डिबेंचर

5. अचल संपत्ति में निवेश

क. प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय निधियों में से एन आर आई कृषी , बागान या फार्म हाऊस को छोड़कर अन्य प्रकार की अचल संपत्ति अर्जित कर सकते है ।

ख.एन आर आई द्वारा ए डी अथवी हाउसिंग फाइनानशियल इंस्टीच्यूशनसे रूपयों में लिया गया हाऊसिंग लोन ऋणी के भारत में बसे नज़दीकी रिशतेदार द्वारा चुकाया जा सकता है ।

एन आर आई निम्नानुसार राशि प्रत्यावर्तित करने के पात्र हैं ।

ग. भारत में अर्जित अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक ही किया जा सकता है जितना कि उसकी खरीद के समय किया गया था । ऐसा प्रत्यावर्तन लाक-इन-पीरियड (समय बंदी) के बगैर अधिक से अधिक दो रिहायशी संपत्तियों के लिए हो सकता है ।

घ. निम्लिखित राशि की वापसी

1. हाउस बिलडिंग एजेंसियों अथवा विक्रेताओं द्वारा फ्लैट अथवा प्लाट आबंटित न किए जाने की स्थिति में लौटाए गए आवेदन पत्र या बयाना या क्रय धन
2. रिहायशी या कमर्शियल संपत्ति की बुकिंग या सौदा या बिक्री रद्द होने पर ब्याज व निवल करों सहित राशि बशर्ते कि मूल भुगतान ऐन आर आई या एफ सी एन आर (बी) खाते य़आ आवक प्रेषण में से किया गया हो ।

6. वापस जाने वाले एन आर आई या पी आई ओ

क. वापस जाने वाले एन आर आई या पी आई ओ विदेशी करेंसी , विदेशी प्रतिभूति या भारत से बाहर स्थित उस अचल संपत्ति को अपने पास रख सकते हैं , ट्रांस्फर कर सकते हैं या उसमें निवेश कर सकते हैं जोकि उनके पास उस दऔरान थी जब वह भारत से बाहर रहते थे ।

ख. वापस जाने वाले एन आर आई या पी आई ओ भारत में प्राधिकृत डीलर के पास निवासी विदेशी करेंसी खाता ( आर एफ सी ) बचत , चालू और मियादी जमा खाता किसी भी अनुमत करेंसी में खोल व रख सकते हैं , एन आर आई या एफ सी एन आर ( बी) खातों में पड़ी शेष राशि को ट्रांस्फर कर सकते हैं । उनकी वापसी के समय भारत से बाहर कखी आस्तियों से प्राप्त राशि आर एफ सी खाते में क्रेडिट की जा सकती है । आर एफ सी खाते में पड़ी रकम पर किसी प्रकार की रोक नहीं होती है जिसमें बकाया विदेशी करेंसी का इस्तेमाल करना तथा भारत से बाहर किसी भी प्रकार का निवेश करना शामिल है ।

7. वैस्टर्न यूनियन के माध्यम से निधियां अंतरित करने की सुविधा

विश्व के किसी भी स्थान से हमारे बैंक की किसी भी शाखा में निधियां अंतरित करने हेतु बैंक ने वैस्टर्न यूनियन मनी ट्रांस्फर के साथ व्यस्था की है । इस व्यवस्था के अंतर्गत 2500 यू् एस डालर या इसके बराबर की राशि के केवल निजि प्रेषण करने की अनुमति है ।